निग० 2755/2018/ सतना/भू-रा० (168) (275)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट–रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

विलोपित / विलोपित

रामविशाल लढिया पिता सुदामा प्रसाद लढिया उम्र–58 वर्ष, पेशा–मजूदरी, निवासी ग्राम–अमौधाकला वार्ड क्र0–1 , तहसील–रघुराज नगर जिला–सतना (म0प्र0)

.... निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्ध

छकौड़ीलाल ब्राम्हण पिता शीतल प्रसाद ब्राम्हण उर्म–80 वर्ष, निवासी ग्राम–सोहावल, तहसील–रघुराज नगर जिला–सतना (म0प्र0)

................गैरनिगरानीकर्तागण

अधि० श्री ... अभिभाषक द्वारा पेश। 07-5-18

निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर सतना के प्रकरण क्र0 11 / स्वमेव निगरानी / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2018

अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

<u>निगरानी याचिका के संक्षिप्त तथ्य नीचे लिखे अनुसार हैं:–</u>

1– यह कि आवेदक द्वारा एक शिकायती आवेदन तहसीलदार रघुराज नगर के समक्ष प्रस्तुत कर लेख किया गया कि मौजा गेदुरी तहसील–रघुराज नगर की आराजी नं0 112 अ एवं 113 शिव मंदिर को अर्पित की गई थी तथा अनावेदक को पुजारी नियुक्त किया गया था, उस समय अनावेदक नाबालिग था। इसलिए अभिलेखों में आवेदक का नाम नाबाकिक बली सरपस्त सुदामा लहिया अंकित कराया गया था। बालिक होने पर अनावेदक द्वारा खसरा सुधार कराया जाकर नाबालिक के साथ–साथ पुजारी शब्द को भी विलोपित करा दिया गया और भूमि स्वामी के रूप में बाईपास रोड का मुआवजा 93,10,383 / –रूपए (तिरान्वे लाख दस हजार तीन सौ तिरासी रूपए) प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु मन्दिर के रख रखाव में पैसा खर्च नहीं किया है।

रामविशाल

XXXIX(a)-BR(H)-11

168

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0/02755/2018/सतना/भू–रा0 जिला–सतना

रामविशाल लिढ़या/छकौड़ीलाल ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र शेषर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 11/स्व0 निग0/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	